

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या 7662/2024

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या 2488/2024 Rukmani property Project Private Ltd

चूँकि श्री H.K.PANDEY (Advocate) द्वारा ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to 7th date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री हर्ष कुमार पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- Hwypang, Thana-Bivsnagar Thana No- 1261 Halka No-

Khata No- 329,

Plot No- 1262, 1263, 1264

Area- 60.5 Decima

जमीन में कोई अवधार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर -

C. H.
16/12/14

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

C. H.
16/12/14

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इंडक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आधार पड़ता हो।